भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 240
(दिनांक 03.2.2022 को उत्तर देने के लिए)

क्षेत्रीय चैनलों को उप- किराए (सब-लेटिंग) पर देना

240. श्री नीरज डांगीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में टीवी चैनल क्षेत्रीय चैनलों के नाम पर प्रसारण कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय टीवी चैनलों को उप-किराए पर दिया गया है, यदि हां, तो चैनलों को उप-किराए पर देने से सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों में बिना किसी स्थापित प्रसारण कार्यालय के क्षेत्रीय टीवी चैनलों का प्रसारण और संचालन किया जा रहा है, यदि हां, तो उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग) भारत से टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीति दिशानिर्देश, 2011 के अनुसार, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई कंपनी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल चलाने के लिए आवेदन करने की पात्र है। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति आवदेक द्वारा चुनी गई भाषा (भाषाओं) में संपूर्ण भारत में कवरेज के लिए दी जाती है।

टीवी चैनल केवल उसी कंपनी द्वारा चलाया जा सकता है जिसे दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है। चैनल को अंतरित करने की अनुमति विलयन/पृथ्थकरण/समामेलन के मामले में, या एक ही समूह की कंपनी के भीतर विभिन्न पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन दी जाती है।

****